(478)

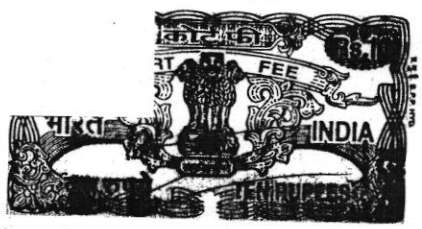

निगरानी प्रकरण - 4079 / 2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१७ निगरानी

III / निगरानी / भिण्ड / भू०रा०/2017/4079

१- पंचम सिंह /पुत्रगण रतीले
२- भारत सिंह /
निवासीगण ग्राम डौंडनपुरा, तहसील - मेंहगांव
जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

विरुध्द

मेहताब सिंह पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम
कनाथर, तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड, म०प्र०
हाल निवास ग्राम रिछौरा, तहसील भाण्डेर,
जिला दतिया-म०प्र० ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

30-10-17

10-11-17

30/10/17

Noted
10/11/017

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय, मेंहगांव दिनांक
२७-१०-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ।
प्र०क्र० ७/१५-१६ /अपील माल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने यह मानते हुये भी कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में १५ वर्ष का विलम्ब हुआ है,

XXIX(a)-BR(H)-11

478

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4079

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	